

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी  
बृहस्पतिवार, 4 जून, 1998 / ज्येष्ठ 14, 1920 [शक]

संख्या : 400

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलित उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 2.6.1998 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको यह सतम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यगण सर्वश्री मुकेश शर्मा, श्रीमती कृष्णा तीरथ, टेक चन्द शर्मा, चौ. शीश पाल, राज कुमार चौहान, राम वीर सिंह बिधुड़ी एवं दिल्ली विधान सभा के विपक्ष के नेता श्री जग प्रवेश चन्द्र को उनके अन्य समर्थकों के साथ पुलित के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलित अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत दिनांक 31.5.98 को पूर्वाह्न 11.40 बजे संतद मार्ग से नज़रबंद किया गया।

उन्हें उती दिनांक अर्थात् दिनांक 31.5.98 को अपराह्न 12.05 बजे पुलित धाना संतद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

( General information relating to Legislative & other matters )

Thursday, June 04, 1998 / Jyaishta 14, 1920 (Shaka)

No.400

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message of Dy. Commr. of Police, New Delhi District, New Delhi addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received on 02.06.1998 :-

" I have the honour to inform you that S/Shri Mukesh Sharma, Smt. Krishna Tirath, Tek Chand Sharma, Ch. Shish Pal, Raj Kumar Chauhan, Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi and Sh. Jag Praveesh Chandra, Leader of Opposition in Delhi Assembly alongwith their supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of police at Parliament Street at 11.40 A.M. on 31.05.1998.

They were released at 12.05 P.M. from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 31.05.1998."

P. N. GUPTA  
SECRETARY